लोक लेखापाल चूक अधिनियम, 1850

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका ।

1. लोक लेखापालों का प्रतिभूति देना ।

2. प्रतिभूति की राशि और किस्म तथा उसके साथ किस प्रकार के प्रतिभू हों ।

3. लोक लेखापाल की परिभाषा ।

4. लेखापालों या प्रतिभुओं का अभियोजन ।

5. लेखापालों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्यवाहियों को अधिनियमितियों का लागू होना ।

6. [निरसित] ।

लोक लेखापाल चूक अधिनियम, 1850[1]

(1850 का अधिनियम संख्यांक 12)

[22 मार्च, 1850]

लोक लेखापालों की चूक से होने वाली हानि के बचाव के लिए अधिनियम

उद्देशिका—लोक लेखापालों की चूक के कारण होने वाली हानि से अधिक अच्छे बचाव के लिए निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. लोक लेखापालों का प्रतिभूति देना—प्रत्येक लोक लेखापाल अपने पद के दायित्वों के निर्वहन के लिए तथा अपने पद के कारण अपने कब्जे या नियंत्रण में आने वाली सब धनराशियों का उचित लेखा देने के लिए प्रतिभूति देगा ।

2. प्रतिभूति की राशि और किस्म तथा उसके साथ किस प्रकार के प्रतिभू हों—किसी लोक लेखापाल के पद के प्रति विशेष रूप से निर्देश करने वाले अधिनियम के अभाव में, दी गई प्रतिभूति ऐसी रकम की और ऐसी किस्म की, चाहे स्थावर सम्पत्ति की या जंगम संपत्ति की, या दोनों की, होगी और (पद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए) उसके साथ में ऐसे प्रतिभू होंगे जो उस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर बनाए गए या बनाए जाने वाले नियमों द्वारा अपेक्षित होंगे जिसके द्वारा ऐसे लोक लेखापाल की उसके पद पर नियुक्ति की जाती हो [2]*** ।

[3][**3. लोक लेखापाल की परिभाषा**—इस अधिनियम की धारा 1 और 2 के प्रयोजनों के लिए लोक लेखापाल पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे शासकीय समनुदेशिती या न्यासी या सर्वराहकार के रूप में यह काम सौंपा गया है कि किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की धनराशि को या धनराशि की प्रतिभूतियों को प्राप्त करे या अपनी अभिरक्षा में रखे या उस पर नियंत्रण रखे अथवा (किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की) किसी भूमि का प्रबन्ध करें तथा इस अधिनियम की धारा 4 और 5 के प्रयोजनों के लिए इस पद के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसे केन्द्रीय सरकार या [4]*** राज्य सरकार की सेवा में किसी पद पर होने के कारण यह काम सौंपा गया है कि उस सरकार की धनराशि को या धनराशि की प्रतिभूतियों को प्राप्त करे या अपनी अभिरक्षा में रखे या उन पर नियंत्रण रखे अथवा (उस सरकार की) किसी भूमि का प्रबन्ध करे ।]

---

[1] बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा इस अधिनियम का बरार में भागत: विस्तार किया गया और विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 (1874 का 15) की धारा 3 द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय भारत के सभी प्रान्तों पर प्रवृत्त घोषित किया गया ।

संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा संथाल परगना में प्रवृत्त घोषित किया गया ।

यह अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अन्य अनुसूचित जिलों में प्रवृत्त घोषित किया गया, अर्थात् :—

पश्चिम जलपाईगुडी, दार्जिलिंग की पश्चिमी पहाड़ियां दार्जिलिंग तराई और दार्जिलिंग जिले का दामसोन उपखण्ड,..... देखिए भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृष्ठ 74 ।

हजारीबाग, लोहारडागा (अब जिला रांची, कलकत्ता राजपत्र, 1899, भाग 1, पृ० 44 देखिए) तथा मानभूम जिले और सिंहभूम जिले में परगना डालभूम तथा कोल्हन,..... देखिए भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृष्ठ 504 ।

कुमाऊं और गढ़वाल..... देखिए भारत का राजपत्र, 1876, पृष्ठ 605 ।

मिर्जापुर जिले का अनुसूचित भाग..... देखिए भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृष्ठ 383 ।

जौनसर बाबर..... देखिए भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृष्ठ 382 ।

मध्य प्रान्त (अब मध्य प्रदेश) के अनुसूचित जिले..... देखिए भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृष्ठ 771 ।

गंजम और विशाखापटनम के अनुसूचित जिले..... देखिए भारत का राजपत्र, 1898, भाग 1, पृष्ठ 870 और फोर्ट सेन्ट जार्ज गजट, 1898, भाग 1, पृष्ठ 666 ।

1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर अधिनियम विस्तारित किया गया । मैसूर स्टेट ऐक्ट, 1955 (1955 का 14) द्वारा बैलारी जिले में इस अधिनियम का लागू किया जाना निरसित किया गया ।

1969 के उड़ीसा अधिनियम सं० 3 द्वारा इस अधिनियम का उड़ीसा में संशोधन किया गया ।

इसका पश्चात्वर्ती उल्लिखित अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित जिलों पर विस्तार किया गया है, अर्थात् :—

आगरा प्रान्त का तराई जिला..... देखिए भारत का राजपत्र, 1876, भाग 1, पृष्ठ 505 ।

अजमेर और मेरवाड़ा..... देखिए भारत का राजपत्र, 1878, भाग 1, पृष्ठ 380 ।

कुर्ग..... देखिए भारत का राजपत्र, 1911, भाग 1, पृष्ठ 1477 ।

इस अधिनियम को मुम्बई राज्य में भागत: निरसित किया गया, देखिए बाम्बे लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1879 (1879 का मुम्बई अधिनियम सं० 5) की धारा 2 और अनुसूची क; अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना, भारत का राजपत्र, 1878 और 1879, भाग 1, क्रमश: पृष्ठ 523 तथा 631 द्वारा इस अधिनियम को असम में प्रवृत्त घोषित किया गया; देखिए असम लैण्ड एण्ड रेवेन्यू रेग्यूलेशन, 1886 (1886 का 1) ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "प्रेसिडेन्सी या स्थान में गवर्नर या सपरिषद् गवर्नर के अनुमोदन के अधीन" शब्दों का निरसन किया गया ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल धारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग क" शब्द और अक्षर का लोप किया गया ।

4. लेखापालों या प्रतिभुओं का अभियोजन—लोक लेखापाल जिस कार्यालय में हो उसका प्रधान व्यक्ति या उसके प्रधान व्यक्ति ऐसे लोक लेखापाल या उसके प्रतिभुओं के विरुद्ध उसके कारण हुई कोई हानि या उसके हिसाब में कोई गबन होने पर इस प्रकार कार्यवाही कर सकेंगे मानो उस हानि या गबन की रकम सरकार को देय भू-राजस्व का बकाया हो ।

5. लेखापालों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्यवाहियों को अधिनियमितियों का लागू होना—सरकार को देय भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए और ऐसे व्यक्ति द्वारा नुकसानी की वसूली के लिए जिसके विरुद्ध बकाया की वसूली की कार्यवाही दोषपूर्ण ढंग से की गई हो, इस समय प्रवृत्त या इसके पश्चात् प्रवृत्त होने वाले सब विनियम और अधिनियम ऐसे किसी लोक लेखापाल द्वारा[1] और उसके विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया सम्बन्धी ऐसे परिवर्तनों के साथ लागू होंगे जो उन्हें उस मामले को लागू करने के लिए आवश्यक हों ।

6. [**पूर्ववर्ती नियमों का विधिमान्यकरण ।**]—निरसन अधिनियम, 1870 (1870 का 14) द्वारा निरसित ।

———

[1] राजस्व बकाया की वसूली संबंधी विधि के लिए देखिए राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1)।